न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 44/2021 तारीख रजू 01.07.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारनाडूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. कैलाशी पत्नि दुर्गा जाति धोबी निवासी मकसूदनपुरा तहसील मलारनाडूंगर
2. दुर्गा पुत्र जगन जाति धोबी निवासी मकसूदनपुरा तहसील मलारनाडूंगर

.......अप्रार्थीगण

उपस्थित

(1) राजकीय पेरोकार प्रार्थी की ओर से

(2) श्री राधेश्याम वैष्णव एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 28/7/23

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 24.05.2000 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण कैलाशी पत्नि दुर्गा जाति धोबी निवासी मकसूदनपुरा तहसील मलारनाडूंगर एवं दुर्गा पुत्र जगन जाति धोबी निवासी मकसूदनपुरा तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर साबिक 23 मि. रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 25 रकबा 1.27 है0 में आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर साबिक 23 मि. रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 25 रकबा 1.27 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत व पटवारी हल्का मकसूदनपुरा की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने, मौके पर भूमि खाली पडी हुई होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 साबिक 23 मि. रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 25 रकबा 1.27 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत व पटवारी हल्का मकसूदनपुरा की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2076–79 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्क दिया कि उनके पक्षकार को आराजी खसरा नम्बर साबिक 23 मि. रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 25 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मकसूदनपुरा तहसील मलारनाडूंगर में आदेश दिनांक 24/05/2000 को आवंटन किया गया था। पटवारी हल्का मकसूदनपुरा द्वारा गलत फर्द मौका तैयार कर पेश किया गया है। अन्त में वकील अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज टाईपशुदा फॉर्मेट पर बिना मौके की जाँच किये कार्यवाही करना बताते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारनाडूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण कैलाशी पत्नि दुर्गा जाति धोबी निवासी मकसूदनपुरा तहसील मलारनाडूंगर एवं दुर्गा पुत्र जगन जाति धोबी निवासी मकसूदनपुरा तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर साबिक 23 मि. रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 25 रकबा 1.27 है0 में आवंटन किया गया था। प्रार्थना पत्र के संलग्न भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि भू अभिलेख निरीक्षक का वृत्त अंकित नहीं है। भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का मकसूदनपुरा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर दिनांक अंकित नहीं है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त रिपोर्ट तहसीलदार मलारना डूंगर को कब पेश की गई। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह भी पाया जाता है कि प्रार्थना पत्र एक पूर्व निर्धारित टाइपशुदा प्रपत्र पर खाली स्थानों में महज आवंटी की सूचनाएं बदल-बदलकर बिना मौके की स्वयं द्वारा जांच किये हुए अपूर्ण स्थिति में ही भिजवाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अपूर्ण होने के कारण तहसीलदार मलारनाडूंगर को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मकसूदनपुरा तहसील मलारनाडूंगर के आराजी खसरा नम्बर साबिक 23 मि. रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 25 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम मकसूदनपुरा का स्वयं मौका देखकर अगर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने तथा आवंटी के आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28/7/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर